न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 91/2022 – निगरानी

1. कैलाशचन्द्र पुत्र काशीलाल झंवर, निवासी–हुरड़ा हाल निवास–ए–49, आर. के. कॉलोनी, भीलवाड़ा

बनाम

1. गणेश कुमार पुत्र रामपाल काबरा, निवासी–हुरड़ा तहसील हुरड़ा
2. सुशील पुत्र महावीर प्रसाद गोखरू, निवासी– भोजरास तहसील हुरड़ा हाल निवासी–महावीर कॉलोनी, विजयनगर जिला अजमेर
3. ग्राम पंचायत हुरडा जरिये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) ग्राम पंचायत हुरड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत हुरड़ा दिनांक 07/01/2019 जिसके द्वारा ग्राम पंचायत हुरड़ा ने पट्टा संख्या–08 दिनांकित 16/07/2019 विपक्षी संख्या–01 के पक्ष में जारी किया

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री राकेश जैन, संजय कुमार सेन अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री विश्वदीपक सिंह अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 02 ओर से

निर्णय

दिनांक 21.02.2023

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत हुरड़ा द्वारा विपक्षी संख्या–01 के पक्ष में जरिये मिसल संख्या–241/2018 से पट्टा संख्या–08 दिनांकित 16/07/2019 जारी किया गया, जो पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। ग्राम हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा के अन्दर हल्के आबादी में निगराकार के स्वामित्व एवं आधिपत्य की जायदाद स्थित है, जिसका बापी पट्टा ग्राम पंचायत हुरड़ा द्वारा निगराकार के पक्ष में दिनांक 18/05/1968 को जारी किया हुआ है। निगराकार का

आपत्तिपत्र सहज दृश्य स्थान पर चस्पा ही किया गया है। विपक्षी संख्या–03 ने विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही विपक्षी संख्या–01 को अनुग्रहित करने के दुराशय से उक्त तथाकथित पट्टा जारी किया गया जो अवैध होने से निरस्तनीय है। तथाकथित पट्टे के आधार पर विपक्षी संख्या–03 ने विपक्षी संख्या–01 के पक्ष में तथाकथित पट्टे का पंजीयन करा दिया तपश्चात विपक्षी संख्या–01 ने उक्त वादग्रस्त जायदाद उक्त तथाकथित पट्टे के आधार पर विपक्षी संख्या – 02 को बिकाव कर दी, उक्त समस्त पश्चातवृत्ति संव्यवहार Abinitio Void है, जिससे विपक्षी संख्या – 01 व 02 को कोई हक–अधिकार व्युत्पन्न नहीं होते हैं। विपक्षी संख्या – 02 द्वारा निगराकार की पट्टेशुदा जायदाद के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न कर अतिक्रमण करने के लिए उतारू हुआ तो निगराकार ने विपक्षी संख्या–02 के विरूद्ध वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, गुलाबपुरा के न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया, जिसका जवाब प्रस्तुत होने पर निगराकार को उक्त तथाकथित पट्टे की जानकारी हुई। अतः प्रार्थना है कि निगराकारान की यह निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर विपक्षी संख्या–3 द्वारा विपक्षी संख्या–1 के नाम पर पत्रावली संख्या 241/2018 निर्णय दिनांक 07/01/2019 से जारी उक्त तथाकथित पट्टा संख्या–08 दिनांकित 16/07/2019 को खारिज फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 दौराने बहस अनुपस्थित रहे। प्रकरण में निगराकार अधिवक्ता एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

निगराकार अधिवक्ताा ने अपनी बहस में निगरानी मेमों में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निगराकार की पट्टेशुदा जायदाद एवं सरकारी नाले के मध्य जो अधिशेष सरकारी पड़त है, उसी भूमि की हद तक ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकता है, अधिशेष भूमि से अधिक भूमि का पट्टा कानूनन जारी नहीं किया जा सकता है, किन्तु ग्राम पंचायत ने अनाधिकृत तौर पर निगराकार की जायदाद एवं सरकारी नाले के मध्य अधिशेष भूमि से अधिक भूमि का तथाकथित पट्टा विपक्षी संख्या–01 के पक्ष में जारी कर दिया, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

स्वीकारोक्ति दी है। निगराकार का यह कथन कि स्वयं के पटटे व नाले के बीच अधिशेष भूमि का पटटा दिया जा सकता हैं, किन्तु निगराकार ने ऐसा कोई रिकार्ड पेश नहीं किया जिससे जाहिर हो कि कितनी भूमि अधिशेष हैं। निगराकार ने बेवजह गैर निगराकार संख्या 02 को पेरशान करने की गरज से उक्त निगरानी पेश की हैं जो आधारहीन होने से निरस्तनीय है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अन्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि निगराकार ने अपनी निगरानी मेमों में अंकित किया ग्राम पंचायत को गैर निगराकार संख्या 01 को निगराकार की पट्टेशुदा जायदाद एवं सरकारी नाले के मध्य जो अधिशेष सरकारी पड़त है, उसी भूमि की हद तक पट्टा जारी किया जा सकता है, अधिशेष भूमि से अधिक भूमि का पट्टा कानूनन जारी नहीं किया जा सकता है। किन्तु निगराकार स्वयं ने ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड, पटवारी की रिपोर्ट या अन्य कोई सरकारी ऐजेन्सी की रिपोर्ट पेश नही की जो प्रमाणित कर सकें कि विवादित भूखण्ड का कितना और कहां का हिस्सा नाले की जमीन का हैं और कितना हिस्सा अधिशेष भूखण्ड का है? निगराकार ने यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 01 को मौके पर उपलब्ध भूखण्ड से अधिक का पटटा जारी किया है, परन्तु इस संबंध में निगराकार ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही कोई पटवारी, सरपंच आदि की रिपोर्ट या राजस्व रिकार्ड पेश किया जो यह प्रमाणित करता हो कि उक्त विवादित भूखण्ड अधिशेष से अधिक का था।

पत्रावली पर दौराने बहस गैर निगराकार संख्या 02 के अधिवक्ता ने न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 02/22 मु.दी.(41) आदेश दिनांक 31.08.2022 की प्रति पेश की, जिसका अवलोकन किये जाने पर यह पाया गया कि मान. न्यायालय द्वारा प्रकरण में निगराकार द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 के विरूद्व लगाये गये आक्षेपों के संबंध में कमिश्नर रिपोर्ट तलब की गयी। मान. न्यायालय ने उक्त कमिश्नर रिपोर्ट के अवलोकन पश्चात् यह निष्कर्ष किया कि

अति. जिला कलक्टर

गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 06/22 में तलब की गयी कमिश्नर रिपोर्ट का भी निगराकार ने कोई खण्डन नहीं किया एवं न ही कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार स्वयं के पटटे की पैमाईश के संबंध में कोई साक्ष्य प्रत्युत्तर पेश किया। मान. न्यायालय से निगराकार को गैर निगराकार के विरूद्व कोई बेबुनियाद राहत नही मिली। इसलिए निगराकार ने गैर निगराकार संख्या 01 के पटटे को निरस्त कराये जाने हेतु यह निगरानी बिना किसी पुष्ट साक्ष्य के पेश की हैं। अत: निगराकार की निगरानी सारहीन व आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत हुरडा तहसील हुरडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा